न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 83/2021/दावा/बउनवान/हसीना बनाम राज0 सरकार
जीसीएमएस संख्या 2021/112

1. हसीना पुत्र इमामुमद्दीन जाति मुसलमान निवासी उदपुरिया तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

.........वादिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)

................प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188, आर.टी.एक्ट</u>

वकील वादीया : श्री के.के.सोनी
दायरा दिनांक: 19.07.2021 **निर्णय दिनांक : 17.02.2025**

निर्णय

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

1. यह कि वाके ग्राम उदपुरिया पटवार हलका उदपुरिया तहसील मांगरोल जिला बारां राज, में स्थित आराजी खाता संख्या 277 खसरा नं0. 141/659 रकबा 0.15 हे0, खसरा नं0. 142 रकबा 0.53 हे0, खसरा नं0. 146/624 रकबा 0.15 हे0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.83 हे0, आराजी पर वादिया काबिज काश्त है जिसमें वादिया का नाम बतौर खातेदार कृषक हसीना के स्थान पर हसीना बेगम पत्नि इमामुद्दीन दर्ज है।
2. यह कि इसी प्रकार ग्राम सीसवाली पटवार हलका सीसवाली तहसील मांगरोल में स्थित आराजी खाता सख्या 1338 रकबा 0.63 हे0, आराजी पर वादिया काबिज काश्त है जिसमें वादिया का नाम बतौर खातेदार कृषक हसीना के स्थान पर हसीना बानो पत्नि इमामुद्दीन दर्ज है। वादिया का नाम आधार कार्ड में हसीना पत्नि इमामद्दीन सही दर्ज है तदनुसार वाद–पत्र की मद नं0. 1 व 2 में वर्णित आराजी की खातेदारी में हसीना बेगम, हसीना बानो के स्थान पर हसीना पत्नि इमामुद्दीन का नाम घोषित कर खातेदारी में दर्ज किया जाना न्यायहित में है व न्यायोचित है इस हेतु वाद पेश किया गया है घोषण के अभाव में वादिया को कई परेशानियों का सामना करना पडता है।
3. यह कि वाद–पत्र की मद नं0. 1 में वर्णित आराजी खसरा नं0. 141/659, खसरा नं0. 142, खसरा नं0. 146/624 कुल रकबा 0.83 हे0, जिसके साबिक खसरा नं0. 309 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा थे आराजी खसरा नं0. 309 के नये नम्बर व नक्शा दर्ज करते समय दौराने सैटलमेंट भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों ने वादिया के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0. 309 जो कि उसके परिवार के पेट पालन का आधार है उसके नक्शे में परिवर्तन कर विवाद के हालात पैदा कर दिया वादिया पर्दानशी औरत है जो कहीं आने–जाने व विवाद करने में असमर्थ है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नक्शे में किये गये गलत अंकन से वादिया को पडौसी काश्तकारों से अकारण मुकदमेबाजी में उलझना पडेगा वर्तमान में नक्शे का प्रारुप छोटा कर दिये जाने से उसका सीमाज्ञान 5 बीघा 4 बिस्वा या 0.83 हे0, से कम आ जाता है जिसके कारण मौके पर विवाद के हालात पैदा हो गये है जिससे पडौसी काश्तकार वादिया के हक काश्त की भूमि को जबरन हांकने पर आमादा हो रहे हैं। भू–प्रबन्ध विभाग का कृत्य त्रुटिपूर्ण एवं कानून के विरुद्ध है वादिया आज भी पूर्व सीमाओं अनुसार वैधानिक कब्जा रखती है तथा उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हैं समय रहते वादिया के हक काश्त की आराजी साबिक

Scanned by CamScanner

खसरा नं0. 309 अनुसार वर्तमान नक्शे को दुरुस्त नहीं किया गया तो उसको अपरिमित क्षति होगी।

4. यह कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा वादिया के कब्जे काश्त की आराजी के पुराने नक्शे से नया नक्शा बनाने के दौरान नक्शे की पूर्वी सीमाआं में किये गये बदलाव के कारण वादिया के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह वर्तमान नक्शे को पुराने नक्शे के अनुसार दुरुस्त करावें तथा प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करें जिससे दौराने दावा वादिया के खाते की आराजी का अन्य व्यक्ति को सीमाज्ञान न करावें तथा यथास्थिति बनाये रखें।
5. यह कि वादिया ने श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस प्रेषित कर दिया है लेकिन वाद अर्जेन्ट नेचर का होने से नोटिस मियाद 2 माह का इन्तजार किया जाना सम्भव नहीं है। इसलिए इस सम्मानीय न्यायालय से इजाजत प्राप्त करके यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।
6. यह कि वाद कारण दिनांक 21.06.2021 को वादिया द्वारा प्रतिवादी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर नक्शा दुरुस्त नहीं किये जाने व नाम दुरुस्त नहीं किये जाने पर तथा न्यायालय में वाद पेश करने की सलाह पर दिनांक 21.06.2021 को उत्पन्न हुआ जो वर्तमान में भी हो रहा है।
7. यह कि वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है क्योंकि आराजी व वादिया एवं प्रतिवादी माननीय न्यायालय की सीमाओं में निवास करते है।
8. यह कि वाद का श्रवणाधिकार व मूल्यांकन प्रयोजनार्थ लगान के 100 गुणा पर किया जाकर वाद उचित न्याय शुल्क 1/रु0 पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना है कि वादिया के पक्ष में प्रतिवादी के विरुद्ध एक डिक्री निम्न आशय की जारी की जावे कि :–

(अ) यह कि वाद–पत्र की मद नं0. 1 व 2 में वर्णित आराजी की खातेदारी में हसीना बेगम, हसीना बानो के स्थान पर हसीना पत्नि इमामुद्दीन का नाम घोषित कर खातेदारी में दर्ज किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु प्रतिवादी को आदेश दिया जावे।

(ब) यह कि वादिया के हक काश्त जो वाद–पत्र की मद नं0. 1 में वर्णित आराजी खसरा नं0. 141/659, खसरा नं0. 142, खसरा नं0. 146/624 कुल रकबा 0.83 हे0, का नक्शा साबिक खसरा नं0. 309 के नक्शे के अनुसार दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जावे।

(स) यह कि एक स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की भी प्रसारित की जावे कि दौराने दावा वादिया की खातेदारी व हक काश्त की आराजी को वाद के निस्तारण तक किसी अन्य व्यक्ति को सीमाज्ञान न करावें तथा यथास्थिति बनाये रखें।

(द) यह कि अन्य न्यायेचित सहायता हो तो वह भी वादिया को दिलवाई जावे।

उक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 19.07.2021 को दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन् प्रतिवादीगण को तलब किया गया। तहसीलदार मांगरोल के पत्र क्रमांक राजस्व/2023/389 दिनांक 14.07.2023 से जवाब सरकार में रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

ग्राम उदपुरिया की खाता संख्या 277 किता–3 रकबा 0.83 है० हसीना बेगम पत्नी इमामुदीन व ग्राम सीसवाली की खाता संख्या 1199 में हसीना बानो पत्नी इमामुदीन जाति मुसलमान सा. देह के नाम खाता दर्ज है, मुताबिक विक्रय पत्र से ग्राम उदपुरिया में हसीना बेगम पत्नी इमामुदीन जाति मुसलमान सा. देह के नाम खाता दर्ज हुआ, जबकि प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, बैंक डायरी, पेनकार्ड व राशन कार्ड में प्रार्थीया का नाम हसीना पत्नी इमामुदीन दर्ज है, हसीना बानो, हसीना बेगम व हसीना एक ही महिला के नाम है।

Scanned by CamScanner

ग्राम उदपुरिया के खाता संख्या 227 में प्रार्थीया के खाते में आराजी खसरा नं० 141/659/0.15, 142/0.53, 146/624/0.15 किता–3 रकबा 0.83 है० भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, नक्शे लठ्ठे में पुराने नक्शे में तीनों खसरान आपस में मिले हुए है परन्तु नये नक्शे में छोटा कर दिया गया है, मौके पर प्रार्थीया 0.83 है० पर ही कब्जा काश्त कर रही हैं, तीनों नम्बरान की रकबा बरारी करने पर खसरा नं0 146/624 का रकबा 0.15 है० आता है. सैटलमेंट से नक्शा छोटा बना दिया गया है, मौके पर रकबा पूरा है।

अतः मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के सही नाम हसीना उर्फ हसीनाबानो उर्फ हसीना बाई राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने एवं पुराने नक्शे के अनुसार नक्शा दुरूस्त किए जाने की अनुशंषा के साथ तथ्यात्मक रिपोर्ट श्रीमान को सादर प्रेषित है।

बहस वकील एकपक्षीय सुनी गई। सम्पूर्ण पत्रावली मय संलग्न दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम उदपुरिया की खाता संख्या 277 किता–3 रकबा 0.83 है० हसीना बेगम पत्नी इमामुदीन व ग्राम सीसवाली की खाता संख्या 1199 में हसीना बानो पत्नी इमामुदीन जाति मुसलमान सा. देह के नाम खाता दर्ज है, मुताबिक विक्रय पत्र से ग्राम उदपुरिया में हसीना बेगम पत्नी इमामुदीन जाति मुसलमान सा. देह के नाम खाता दर्ज हुआ, जबकि प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, बैंक डायरी, पेनकार्ड व राशन कार्ड में प्रार्थीया का नाम हसीना पत्नी इमामुदीन दर्ज है, हसीना बानो, हसीना बेगम व हसीना एक ही महिला के नाम हैं। ग्राम उदपुरिया के खाता संख्या 227 में प्रार्थीया के खाते में आराजी खसरा नं० 141/659/0.15, 142/0.53, 146/624/0.15 किता–3 रकबा 0.83 है० भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, नक्शे लठ्ठे में पुराने नक्शे में तीनों खसरान आपस में मिले हुए है परन्तु नये नक्शे में छोटा कर दिया गया है, मौके पर प्रार्थीया 0.83 है० पर ही कब्जा काश्त कर रही है, तीनों नम्बरान की रकबा बरारी करने पर खसरा नं0 146/624 का रकबा 0.15 है० आता है. सैटलमेंट से नक्शा छोटा बना दिया गया है, मौके पर रकबा पूरा है। तहसीलदार मांगरोल द्वारा सही नाम हसीना उर्फ हसीनाबानो उर्फ हसीना बाई राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने एवं पुराने नक्शे के अनुसार नक्शा दुरूस्त किए जाने की अनुशंषा की गई। अतः तहसीलदार मांगरोल की अनुशंषा के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिनी का वाद स्वीकार कर तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम उदपुरिया पटवार हलका उदपुरिया तहसील मांगरोल के आराजी खाता संख्या 277 खसरा नं0. 141/659 रकबा 0.15 हे0, खसरा नं0. 142 रकबा 0.53 हे0, खसरा नं0. 146/624 रकबा 0.15 हे0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.83 हे0 एवं ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल को आराजी खाता सख्या 1199 खसरा नं. 1338 रकबा 0.63 हे0 आराजी में हसीनाबेगम पत्नी इमामुद्दीन एवं हसीनाबानो पत्नी इमामुद्दीन के स्थान पर सही नाम हसीना पत्नी इमामुद्दीन राजस्व रिकार्ड में दर्ज करें एवं आराजी खसरा नं० 141/659/0.15, 142/0.53, 146/624/0.15 किता–3 रकबा 0.83 है० का नक्शा पुराने नक्शे के अनुरूप दुरूस्त किए जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Scanned by CamScanner